संख्या- /61/छ:ना0सु0-16-24सी0डी0/06

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 2016

विषय: नागरिक सुरक्षा में सराहनीय व उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डेनों को उनकी सेवाओं की मान्यता स्वरूप उन्हें सम्मान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अपने पत्र संख्या-1942/अनु-1/244/2015 दिनांक 11-12-2015 का एवं शासन के पत्र संख्या-1068/छ:ना0सु0-15-24सी0डी0/2006 दिनांक 04-01-2016 (प्रतिलिपि संलग्न है) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयं सेवकों का मनोबल बढ़ाने के लिये प्रशस्ति-पत्र दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 04-01-2016 में आंशिक संशोधन करने हुये निम्नवत् रूप से प्रशस्ति पत्र दिये जाने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुये स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

<u>क- उत्तर प्रदेश शासन प्रशस्ति पत्र</u>

यह पुरस्कार प्रति वर्ष किसी नागरिक सुरक्षा जनपद के अधिकतम 01 व्यक्ति को ही दिया जायेगा। चयन हेतु जनपद के जिला नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा अधिकतम 05 व्यक्तियों की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्तुतियां निदेशक, नागरकि सुरक्षा को भेजेगें। प्राप्त संस्तुतियों की स्क्रीनिंग एवं चयन हेतु समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है:-

1. प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0 शासन। - अध्यक्ष
2. निदेशक, नागरिक सुरक्षा(निदेशक की अनुपस्थिति में संयुक्त निदेशक, नागरिक सुरक्षा) - सदस्य सचिव
3. मुख्य सचिव, उ0प्र0 द्वारा नामित एस0डी0एम0ए0 का एक अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से निम्न न हो। - सदस्य

<u>ख- निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशस्ति पत्र</u>

यह पुरस्कार प्रति वर्ष किसी नागरिक सुरक्षा जनपद के अधिकतम 03 व्यक्तियों को ही दिया जायेगा। चयन हेतु जनपद के जिला नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा अधिकतम 10 व्यक्तियों की संस्तुतियां निदेशक, नागरिक सुरक्षा, को भेजेंगे। प्राप्त संस्तुतियों की स्क्रीनिंग हेतु समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है:-

1. निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0, - अध्यक्ष
2. कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ। - सदस्य सचिव
3. प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित अधिकारी। - सदस्य

<u>ग- जिला नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा प्रशस्ति पत्र</u>

इस प्रशस्ति पत्र हेतु वही सदस्य पात्र होंगे, जिन्होंने शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित विशिष्ट अवसरों पर नागरिक सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित कार्यों को सराहनीय रूप से कार्य किया हो। किसी कैलेण्डर वर्ष में प्रत्येक जनपद में कार्यरत स्वयंसेवकों के अधिकतम 02 प्रतिशत को ही यह सम्मान दिया जायेगा। चयन हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है :-

1- जिलाधिकारी, नागरिक सुरक्षा - अध्यक्ष
2- चीफ वार्डेन, नागरिक सुरक्षा (चीफ वार्डेन, नागरिक सुरक्षा की अनुपस्थिति में डिप्टी चीफ वार्डेन, नागरिक सुरक्षा) - सदस्य
3- उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा जनपद - सदस्य सचिव
4- जिला पुलिस अधीक्षक का नामित प्रतिनिधि जो अपर पुलिस अधीक्षक से निम्न न हो। - सदस्य

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, नगर, उ0प्र0।
2- संयुक्त निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कमाण्डेन्ट केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ।
4- समस्त उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, नगर, उ0प्र0।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0 कमल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।